

विरासत वृक्षों की पहचान के लिए विकसित होगा एप

पटना। हाल ही में औरंगाबाद में 500 वर्ष पुराना महा वटवृक्ष पाया गया है। बिहार सरकार के बन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने इसे संरक्षित करने की घोषणा की है। ताकि प्रकृति की यह देन आगे आने वाले समय में भी सुरक्षित और रोग मुक्त रहे। बिहार सरकार ने विरासत के पेड़ों को बचाने की पहल की है। एक एंड्रॉयड मोबाइल एप लॉन्च किया जाना है। अगले एक महीने में यह एप तैयार हो जाएगा। आम लोग अथवा जन प्रतिनिधि इस एप की को डाउनलोड कर इस पर अपने जिले, मोहल्ले, पंचायत, ब्लॉक आदि के विशिष्ट वृक्ष की तस्वीरें जीपीएस लोकेशन के साथ डाल सकते हैं। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के उपाध्यक्ष मिहिर झा ने बताया कि एप

- एप के माध्यम से वृक्ष होंगे विरासत की सूची में शामिल
- अपने क्षेत्र के विशिष्ट वृक्षों की फोटो डाल सकेंगे जन प्रतिनिधि
- पिछले एप में नहीं मिली सफलता तो दूसरी पारी की हो रही शुरुआत

के साथ साथ बीएसबीबी को भी इसकी सूचना दें। दोनों ही जगह सूचना मिलने पर सारी जानकारियों को इकट्ठा किया जाएगा। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड की भौतिक वेरिफिकेशन करेगी। जानकारी सही होने और इन वृक्ष में असल में विशिष्टता पाए जाने पर उन्हें विरासत वृक्ष की सूची में शामिल किया

विलक्षण गुणों वाले 1500 वृक्ष चिह्नित : डॉ. प्रेम

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा है कि जैव विविधता विरासत वृक्षों की घोषणा के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त 15 हजार वृक्षों में से विलक्षण गुणों के 1500 वृक्षों को चिह्नित किया गया है। विरासत वृक्षों के चिन्हिकरण, घोषणा एवं संरक्षण का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। मंत्री ने सोमवार को अरण्यभवन के सभागार में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक में बौल रहे थे। मंत्री ने जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन की स्थिति, जैव विविधता विरासत वृक्ष, स्थल, कार्यशाला और शोध आदि की समीक्षा की।

जाएगा। बता दें कि वर्ष 2022 में भी बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड की तरफ से बिहार हेरिटेज ट्री एप लॉन्च किया गया था, इसमें बीएसबीबी ने लोगों से राज्य के उन पेड़ों की जानकारी, स्थान और तस्वीरें डालने को कहा था जो कम-से-कम 50 साल पुराने हैं पर राज्य भर में आम लोगों को इस एप के बारे में जागरूक

होने और ऐसे पेड़ों के बारे में विवरण दर्ज करने में एक वर्ष से अधिक का समय लग गया। और मात्र 15000 तक प्रविष्टियां आई। उपाध्यक्ष मिहिर झा ने बताया कि विरासत वृक्ष का दर्जा पाने के लिए उम्र ही एकमात्र मापदंड नहीं है। इसके अलावा कद, क्षेत्र, क्राउन आदि में विशिष्टता भी विरासत वृक्ष प्रदान करा सकता है।